महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांकः 07 अप्रेल, 2012 **समय : प्रातः 11.30 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 78वीं बैठक दिनांक 07 अप्रेल, 2012 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित विद्या परिषद् बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

01.	प्रोफेसर रूप सिंह बारेठ, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
03.	प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
04.	श्री कमल बैरवा, विधायक - निवाई, (टौंक्) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
05.	प्रो. के.के. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
06.	प्रो. एस.एन.सिंह, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
07.	श्री एन. के. सेठी, उपसचिव, योजना विभाग (शासन सचिव, योजना विभाग के प्रतिनिधि),	सदस्य
08.	श्री किशोर कुमार कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

01.	डॉ. रघुनंदन शर्मा, विधायक केकड़ी, (अजमेर) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
02.	शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
03.	शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
04.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा आशा व्यक्त की कि प्रबंध बोर्ड के समस्त सदस्यों के पूर्ण सहयोग से विश्वविद्यालय विकास की ओर उन्मुख होगा तथा प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही में सभी का सहयोग मिलेगा। तत्पश्चात कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गये :-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
	<u>नवीन मद</u>ः-	
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 23.02.2012 को सम्पन्न हुई 77वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13(77) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2012/10095-105 दिनांक 10.03.2012 के द्वारा प्रेषित की गई।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी एवं प्रेक्षण किया गया कि प्रबंध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों की पालना एक समयबद्ध अवधि में की जावे।**	
मद सं. 2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की XIवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में इस विश्वविद्यालय के लिए अनुदान हेतु, XIवीं पंचवर्षीय योजना मॉनिटरिंग समिति की दिनांक 05.04.2012 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त (**कार्यसूची का परिशिष्ठ- I**) पर विचार करना।	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**प्रबंध बोर्ड द्वारा विचारविमर्श पश्चात XIवीं पंचवर्षीय योजना मॉनिटरिंग समिति की दिनांक 05.04.2012 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।** **XIIवीं पंचवर्षीय योजना हेतु तैयार प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 10.04.2012 तक भिजवाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 3	विद्या परिषद् की दिनांक 30.03.2012 को सम्पन्न 46वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ठ-II**)	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदित किया गया।**	
मद सं. 4	वित्त समिति की दिनांक 28.03.2012 को सम्पन्न 31वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ठ-III**)	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**अनुमोदन प्रदान किया गया। बिंदु सं.1 में उल्लेखित Since income of CESBM is not part of University income therefore को विलोपित करते हूए शेष को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 5	विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की 42वीं बैठक दिनांक 27.03.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ठ- IV**)	**सहायक अभियन्ता**
निर्णय	**अनुमोदित किया गया।**	

मद सं. 6 विश्वविद्यालय की वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट- V**) **शैक्षणिक-I**

निर्णय **प्रबंध बोर्ड द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2009-10 के वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट तीन माह में तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। वार्षिक रिपोर्ट समय से तैयार नहीं कर पाने तथा तैयार रिपोर्ट को राज्य सरकार को नहीं भिजवाने की जांच की जावे।**

मद सं. 7 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा याचिका क्रमांक 3485/2002 में दिनांक 21 मार्च, 2012 को पारित आदेश से अवगत कराना तथा प्रकरण पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट- VI**) **संस्थापन**

निर्णय **प्रबंध बोर्ड द्वारा संपूर्ण प्रकरण पर विचार कर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन याचिका सं.3485/2002 के क्रम में दिनांक 21 मार्च, 2012 को पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में समाधानस्वरूप निर्णय किया गया कि वर्तमान में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावे एवं याचिकाकर्ताओं को आयु सम्बन्धी अहर्ता में शिथिलता प्रदान करते हुए चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावे।**

मद सं. 8 प्रबन्ध बोर्ड की 77वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2012 के निर्णय संख्या 24 के द्वारा सत्र 2011-12 की अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा इस बाबत् जारी अधिसूचना क्रमांक 11698 दिनांक 05.05.2010 का पुनः परीक्षण करने हेतु प्रो. पी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में प्रो. के.के. शर्मा, सदस्य एवं श्री आर.के.व्यास (उप कुलसचिव शैक्ष- **II**) सदस्य सचिव की एक समिति गठित किये जाने एवं समिति की अनुशंसायें प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। **शैक्षणिक–II**

प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में गठित समिति की बैठक दिनांक 13 मार्च, 2012 को आयोजित की गई। समिति की अनुशंसायें एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 11698 दिनांक 05.05.2010 में समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रावधान (**कार्यसूची का परिशिष्ट– VII**) प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **अनुशंषाओं पर विचारविमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुशंषा सं.11 में ऑन लाईन/डिमांड ड्राफ्ट हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं 9	राजस्थान सरकार के Department of Personnel (A-II) द्वारा No. F.17 (10) DOP/A-II/94 दिनांक 08.07.2011 के तहत Amendment जारी किया गया है। यह Amendment पूर्व में जारी दिनांक 28.08.2009 के बिन्दु संख्या 05 को प्रतिस्थापित (Substitute) करते हुए निकाला गया है। इस दिनांक 08.07.2011 के आदेश के बिन्दु संख्या 05 मे सेवानिवृत्त को संविदात्मक नियुक्तियों के लिए दिए जाने वाले Consolidated emoluments की दरों में संशोधन के पश्चात् देय राशि का अंकन है। चूंकि विश्वविद्यालय में भी आवश्यकता को देखते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों को समेकित राशि पर संविदात्मक नियुक्त किया जाता है, अतएव राज्य सरकार के Amendment दिनांक 08.07.2011 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VIII)** को विश्वविद्यालय में मान्य किए जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.07.2011 में सेवानिवृत्त कार्मिकों/अधिकारियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी जोड़ते हुए संशोधन को स्वीकार करने का निर्णय किया गया।** **विशेष परिस्थितियों में प्रोफेसर्स को संविदा पर विश्वविद्यालय में नियुक्त करने के लिऐ वेतन एवं भत्तों हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया जिसे प्रबंध बोर्ड की प्रतिवेदित किया जावे।**	
मद सं 10	माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन/सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने बाबत् माननीय कुलपति महोदय द्वारा एक कमेटी प्रो. पी.एस. वर्मा के संयोजकत्व में गठित की गयी जिसकी बैठक दिनांक 13.03.2012 को आयोजित की गयी। बैठक का कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– IX)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**अनुशंषाएँ अनुमोदित की गयीं। अनुशंषा सं.13 में 31 दिन की जगह 30 दिन करने का निर्णय किया गया।**	
मद सं. 11	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** (1) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10.02.2012 के द्वारा श्री सतीश सक्सैना, सेवानिवृत्त अनुभागाधिकारी को संविदा के आधार पर समेकित राशि रू. 8150/- प्रतिमाह पर कार्यभार संभालने की तिथि से प्रथमतः 06 माह अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था./मदसविवि/5646 दिनांक 17.02.2012 के द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री सतीश सक्सैना की नियुक्ति एवं राज्य सरकार के संशोधन	संस्थापन

पत्र क्रमांक एफ 17(10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.07.2011 की स्वीकृति होने पर ही उक्त नियुक्ति मान्य होगी। **(कार्यसूची का परिशिष्ट- X)**

निर्णय पुष्टि की गयी। सेवानिवृत्त कार्मिक को समेकित राशि के अतिरिक्त वाहन भत्ता जैसी अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

(2) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.03.2012 के द्वारा श्री कन्हैया लाल भूपार्य, सेवानिवृत्त सहायक, भू-प्रबन्ध अधिकारी को विश्वविद्यालय में भूमि संबंधी कार्यो के निष्पादन करने हेतु संविदा के आधार पर समेकित राशि रूपये 11250/- प्रति माह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/12637 दिनांक 29.03.2012 के द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री कन्हैया लाल भूपार्य की नियुक्ति एवं राज्य सरकार के संशोधन पत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.07.2011 की स्वीकृति होने पर ही उक्त नियुक्ति मान्य होगी। **(कार्यसूची का परिशिष्ट- XI)** — **संस्थापन**

निर्णय पुष्टि की गयी।

(3) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.6(1)FD(Rules)/2008, Jaipur Dated 25-03-2012 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों का 01.01.2012 से महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F.6(41) A&F/MDSU/2011/ 13894-933 dated 05-04-2012 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ट- XII)** — **वित्त एवं लेखा**

निर्णय पुष्टि की गयी। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी महंगाई भत्ते को राज्य सरकार के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कार्मिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

<u>**प्रबन्ध बोर्ड की 77वीं बैठक के स्थगित मद :-**</u>

मद सं 12 डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी (DOEACC SOCIETY) चण्डीगढ़ ने विश्वविद्यालय में अपना सेंटर खोलने की स्वीकृति चाही थी। इस संस्थान के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों व इनके परिजनों को इस शिक्षण का लाभ प्राप्त होगा साथ ही आस-पास की बस्ती के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। अतः कम्प्यूटर सूचनाओं एवं तकनीकी — **अभियन्ता कार्यालय**

की शिक्षा दिये जाने हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी (DOEACC SOCIETY) चण्डीगढ़ के सेंटर को 11 माह की अवधि के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थान दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय **मद निरस्त करने का निर्णय किया गया**

मद सं. 13 विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार माह अक्टूबर, 2009 से मुख्य विधि सलाहकार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-2(104)सा.प्र./मदसविवि/2010/38793-861 दिनांक 21.10.2010 के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षक, अधिकारी आदि को निवासीय टेलिफोन (बेसिक+मोबाईल+इंटरनेट+ब्राडबैंड) एकमुश्त वित्तीय सीमा तक व्यय के पुनर्भरण हेतु प्रबन्धक-अतिथिगृह, उद्यान निरीक्षक एवं सहायक वार्डन के समान मुख्य विधि सलाहकार को रू.1500/- प्रतिमाह स्वीकृत राशि विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति की तिथि से दिये जाने की स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय **कार्यालय आदेश क्र.एफ-2 (104)सा.प्र./मदसवि/2010/38793-861 दिनांक 21.10.2010 से मुख्य विधि सलाहकार को रू.1500/- प्रतिमाह पुनर्भरण राशि दिये जाने का निर्णय किया गया।**

बैठक अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई। बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्पन्न हुई।

कुलपति
कुलसचिव